विचार बिन्दु

जिसमे दया नहीं उसमे कोई सद्गुण नहीं। –हज़रत मोहम्मद

राजनीति में सार्वजनिक और निजी नैतिकता के सवाल

देश में राजनेताओं और प्रशासन तंत्र के अधिकारियों में नैतिक गिरावट आज के समय की सबसे गंभीर चिंता बन चुकी है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके नेता और प्रशासक कितने ईमानदार, जिम्मेदार और नैतिक मूल्यों का पालन करने वाले हैं। जब राजनीति और प्रशासन में नैतिकता कमजोर होने लगती है, तब उसका सीधा असर समाज, शासन और जनता के विश्वास पर पड़ता है, जिसे हम आज स्पष्ट देख रहे हैं। इससे जनता भी अनैतिकता के बहाव में बहने लगती है। राजनीति को समाज सेवा का माध्यम मानना अब इतिहास के पन्नों में चला गया है। वह ज़माना दंतकथा जैसा लगने लगा है जब नेता और प्रशासनिक अधिकारी देश और समाज के हित के लिए अपने निजी स्वार्थों का त्याग कर देते थे। स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती दौर में कई ऐसे नेता और प्रशासनिक अधिकारी हुए जिन्होंने नैतिकता, ईमानदारी और त्याग को अपने काम का मूल आधार माना। लेकिन समय के साथ-साथ राजनीति और प्रशासनिक तंत्र का स्वरूप बदलता चला गया और इसमें सत्ता, धन और व्यक्तिगत लाभ की प्रवृत्ति बढ़ती गई। इस पर अलग-अलग राय हो सकती है कि राजनेताओं ने प्रशासन को भ्रष्ट किया या प्रशासनिक अहलकारों ने राजनेताओं को खराब किया। अब तो राजनीति में प्रवेश करने का मुख्य उद्देश्य जनसेवा नहीं बल्कि सत्ता प्राप्त करना और उससे मिलने वाले लाभ उठाना बन गया है। चुनावों में भारी मात्रा में धन खर्च इसीलिए किया जाता है; जाति, धर्म और क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काकर वोट हासिल करने के उद्यम होते हैं। इस प्रकार की राजनीति में नैतिक मूल्यों की उपेक्षा होती है। जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक धन खर्च करके सत्ता में आता है, तो वह सत्ता में आने के बाद उस धन को वापस पाने या और अधिक लाभ कमाने की कोशिश करेगा ही। प्रशासनिक तंत्र में भी नैतिकता की गिरावट सबको दिख रही है। प्रशासन का मुख्य काम कानून की पालना करवाना और समस्त जनता कोसमान रूप से निष्पक्ष सेवाएं देना होता है। लेकिन राजनीतिक दबाव में आकर या व्यक्तिगत लाभ के लिए अधिकारियों का कर्तव्यों से समझौता करना आम हो चला है। नैतिकता में आई गिरावट के कई कारण हैं। सबसे प्रमुख है राजनीति का व्यवसायीकरण। नए डिजिटल प्रचार के युग में बाजार की घुसपैठ जीवन के हर क्षेत्र में हो गई है। राजनीति अब सेवा नहीं रह गई है, बल्कि लोगों के लिए करियर और कमाई का साधन बन गई है। दूसरा कारण है चुनावी व्यवस्था में धन, बाहुबल और कट्टर वैचारिकी का बढ़ता प्रभाव। तीसरा कारण है वृहद समाज में नैतिक मूल्यों का कमजोर होना और सत्ता प्राप्त करने की अंधी दौड़। इसके अतिरिक्त, राजनीतिक दलों के अंदर लोकतंत्र की कमी भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। कई बार योग्य और ईमानदार लोगों को अवसर नहीं मिल पाता, जबकि प्रभावशाली या धनवान प्राथमिकता पा जाते हैं। इससे राजनीति में अच्छे और नैतिक लोगों की भागीदारी कम होती चली गई है। राजनीति और प्रशासन में नैतिकता की गिरावट का सबसे बड़ा नुकसान जनता को भुगतना पड़ता है। और जब भ्रष्टाचार बढ़ता है और समाज में असमानता और असंतोष बढ़ने लगता है और लोगों का अपने नेताओं और अधिकारियों पर भरोसा टूटता है, तो लोकतंत्र कमजोर होने लगता है।

सार्वजनिक नैतिकता,या कहें कि नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के नैतिक स्तर में गिरावट काफी हद तक सरकारी काम के बड़े पैमाने पर फैलाव और सत्ता के केन्द्रीयकरण की वजह से भी है। इस व्यवस्था में हर स्तर के फैसले मंत्रियों या प्रशासनिक अधिकारियों की मर्ज़ी से होते हैं। इससे सरकार में बैठे लोगों को अपनी ताकत के इस्तेमाल में मनमानी करने का अवसर मिल जाता है। ऐसी व्यवस्था ने राजनेताओं व प्रशासनिक तंत्र में बैठे लोगों का तो मूल्य बढ़ा दिया है, मगर निजी और सार्वजनिक नैतिकताओं के मानदंडों को संकुचित कर दिया है। ऐसे माहौल में राजनेताओं के लिये नारे लगाना और बड़े दावे करना सामान्य हो गया है। कोई नेता हर साल लाखों नई नौकरियों का वादा कर देता है, हालांकि उसे पता है उसके पास उस संख्या के एक-चौथाई लोगों को भी काम देने का कोई तरीका नहीं है। नेताओं ने यह भी जान लिया है कि वे जो वादे वे चुनावों में जनता से करते हैं जनता उनसे उनका कभी हिसाब नहीं मांगेगी। जनता के हाथ में अपने वोट के अलावा कोई ताकत नहीं है। चुनावों में भी उनकी पसंद बहुत सीमित होती है। सारे फैसले राजनैतिक दल करते हैं। बुद्धिजीवी भी इस बात पर रोशनी डालने में नाकाम हैं कि आज भारतीय राजनीतिक व्यवस्था ऐसी क्यों होती चली गई है? प्रशासन कें राजनीतिकरण के तर्क को समझने में बहुत ज़्यादा समय लग गया है। उदारवादी मूल्यों के लिए समर्पित पुराने नेता आज़ादी की लड़ाई की देन थे, जबकि उनके बाद आने वाले लोग सत्ता की लड़ाई में लगे हुए रहे, जो आज चरम पर है। वे सभी जो मज़लूमों के हितों की मुखर आवाज़ें उठाने के लिये भुजाएं उठाते थे वे भी सत्ता के लालच में बिगड़ते चले गए और लोकतान्त्रिक व्यवस्था मजबूत होने के बजाय आजादी के पहले की परंपरागत सामंती छाया में सुकून पाती रही। सवाल उठाया जा सकता है कि राजनेता जैसे हैं, वैसे क्यों हैं? यह जानने के लिए कभी गंभीरता से बुद्धिजीवियों ने विचार ही नहीं किया। इस पर भी नहीं कि राजनीतिक प्रक्रिया गंदे लोगों को कैसे या क्यों ऊपर उठा लाती है। समाज की भूमिका और उसके सामान्य सरोकारों पर कभी गंभीर चर्चा नहीं होती। समाज और उसे चलाने वाले धर्म के नेता भी वर्तमान में बिगड़ैल राजनेताओं की होड करने में लगे नज़र आते हैं। मगर सभी बुराइयों का दोष राजनेताओं पर डालदेना इस मुद्दे से बचना है। होशियार छात्र या प्रोफेसर जो घर पर कम सैलरी वाली नौकरी के बजाय विदेश में आरामदायक नौकरी पसंद करते है, भरपूर प्रैक्टिस करने वाले वकील और डॉक्टर अक्सर अपनी आय छिपाने में नहीं हिचकिचाते, बिज़नेस एग्जीक्यूटिव जो पागलों की तरह ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे पाने की कोशिश करते हैं, व्यापारी जो जल्दी पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता है और सही कनेक्शन वाला आदमी सब सेवाएं पा जाता है मगर कमजोर व्यक्ति सार्वजनिक सेवाओं के लिए लाइन में लगा रह जाता है। यह भी कैसी नैतिकता है। समाज के सभी हैसियतदार लोग क्या विधानमंडलों में बैठे अपने प्रतिनिधियों जितने ही नैतिक रूप से कमज़ोर नहीं हैं? सच तो यह है कि राजनेता उसी भ्रष्ट सामाजिक माहौल में बढ़ते हैं जिसमें दूसरे समूह फलते-फूलते हैं। बस सबकी चाहतें अलग-अलग होती हैं। लोकतान्त्रिक राजनीति की अपनी ज़रूरतें होती हैं, जिनमें सबसे ज़रूरी है, प्रचलित रुझानों को फॉलो करना, मौजूदा बकवास को दोहराना, लोकप्रियता और पब्लिसिटी के लालच में पड़ना है। यह भुला दिया जाता है कि नारे लगाने वाली आवाज़ें कितनी भी ज़्यादा और ज़ोरदार क्यों न हों बकवास बकवास ही रहती है। इसलिए, अगर आजकल के मीडिया बकवास से भरे हों, अगर राजनेता आखिरी मिनट में राजनीतिक वफादारी बदल लेते हों और अगर नागरिक स्वतंत्रता से जुड़े मुद्दों को किसी एक पार्टी या दूसरी पार्टी के फायदे के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ाकर बताये जाते हो, तब आन आदमी निराश होकर अपने हाथ खड़े न करे तो क्या करे। वर्तमान में बदले की भावना वाली प्रतिस्पर्धी राजनीति है। किसी राजनेता से इससे बचने की उम्मीद किसी को नहीं रही है। राजनेता ज़्यादातर सिर्फ़ असहमत होने पर ही सहमत होते हैं।

जब नागरिक जागरूक होंगे और बेईमान नेताओं को चुनौती देंगे, तभी राजनीति की दिशा बदल सकेगी। राजनीति और प्रशासन में नैतिकता किसी भी लोकतंत्र की आत्मा होती है और यदि नैतिकता कमजोर पड़ती है तो शासन व्यवस्था भी कमजोर हो जाती है। इसे ठीक से समझने वाले विवेकशील नागरिक बनाने के प्रयास जरूरी है।

चालाक नेता जनता की राय को अपने फ़ायदे के हिसाब से मैनिपुलेट करना साध चुके हैं। गंभीर मुद्दों को मीडिया के जरिये आसान लगते हुए बना दिया जाना भी इसी मैनिपुलेशन का हिस्सा है। प्राइवेट नैतिकता में एक बड़े झूठ और आधे सच में बहुत फ़र्क होता है। मगर सार्वजनिक नैतिकता में दोनों के बीच की दूरी अक्सर गायब रहती है। सिर्फ़ वही लोग बड़े झूठ का सहारा नहीं लेते जो पहले से ही ऊंचे राजनीतिक पद पर हैं, जो लोग सत्ता में आना चाहते हैं, वे भी ऐसा ही करते हैं। मीडिया देश में अफ़रा-तफ़री का माहौल का आभास देता हुआ सॉफ्ट ऑप्शन के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता। सब राजनेता जान गए हैं कि हार्ड ऑप्शन वोट खींचने वाले नहीं होते हैं। लेकिन जैसा कि कहते हैं हर समस्या का कोई न कोई समाधान होता है उसी प्रकार नैतिकता की इस समस्या का समाधान भी संभव है। सबसे पहले समाज को बदलना पड़ेगा। उसे पुराने सामंती चोले से बाहर निकालना होगा। ऐसे चुनावी सुधारों करने होंगे जिससे राजनीति में धन और अपराध का प्रभाव कम किया जा सके। प्रशासनिक तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ानी होगी। सूचना का अधिकार, डिजिटल प्रशासन और स्वतंत्र जांच संस्थाएं इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। इसके साथ-साथ समाज में नैतिक शिक्षा और मूल्यों को बढ़ावा देना भी आवश्यक है। जब नागरिक जागरूक होंगे और बेईमान नेताओं को चुनौती देंगे, तभी राजनीति की दिशा बदल सकेगी। राजनीति और प्रशासन में नैतिकता किसी भी लोकतंत्र की आत्मा होती है और यदि नैतिकता कमजोर पड़ती है तो शासन व्यवस्था भी कमजोर हो जाती है। इसे ठीक से समझने वाले विवेकशील नागरिक बनाने के प्रयास जरूरी है। आवश्यक है कि नेता, प्रशासक और नागरिक सभी मिलकर ईमानदारी, पारदर्शिता और जिम्मेदारी जैसे मूल्यों को मजबूत करें, ताकि एक स्वस्थ और सशक्त लोकतंत्र का निर्माण हो सके।

–अतिथि संपादक,
राजेन्द्र बोड़ा
(वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)

भारत-अमरीका ट्रेड डील : सार्वभौम देश के राष्ट्रीय हित

रामनिवास बैरवा

यूरोपियन यूनियन के साथ हुए व्यवसायिक समझौते के बाद संयुक्त राज्य अमरीका से अपरिपक्व अन्तरिम व्यापारिक समझौते का सरकारी स्तर और सत्ताधारी पार्टी के द्वारा इस तरह से प्रचार किया गया जैसे अमरीका को जीत लिया हो। व्यापारी और पैसे के हिसाब-किताब में पक्का अमरीका अन्तिम समझौते को किस रूप में सामने लायेगा। इसका अनुमान लगाना मुश्किल है कि उस अन्तिम समझौते में भारत अमरीका की शर्तों को मानकर भारत के राष्ट्रीय हितों की हिफाजत कर पायेगा या नहीं। कही फजीहत नहीं हो जाये? इसे आगे देखना बाकी है।

2019 में प्रकाशित मेरी पुस्तक "अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी का साम्राज्य" में मैनें यह उल्लेख किय था कि अंग्रेजों ने सीधे तौर पर और 'स्टर्लिंग एरिया' के माध्यम से भारत की सम्पति को ब्रिटेन में ले जाया गया था और भारत के व्यापारिक लाभ को लंदन के बैंकों में जमा करवाया गया था। आज संयुक्त राज्य अमरीका अपनी मुद्रा डॉलर के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था को लगभग अपनी औपनिवेशिक व्यवस्था बना चुका है। बहुप्रचारित वर्तमान व्यापार समझौता उसी का एक रूप है- जिसमें कृषि की बात को लेकर भारत सरकार के दो बड़े मंत्री, इस समझौते के शिल्पकार वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और विदेश मंत्री एस. जयशंकर अनभिज्ञता बता चुके हैं कि क्या शर्तें है।

इस प्रकार की अनभिज्ञता कोई नई बात नहीं है भारत के लिए। ब्रिटिश पार्लियामेंट 1935 में ही भारतीय राजनेताओं की अविश्वसनीयता को रेखांकित कर चुकी थी जो आज भी भारत की सार्वभौमिकता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा पर सवाल खड़े करती है। इसका कारण भी रहा है- 1947 के पहले पूरे आन्दोलन में सिर्फ दो ही व्यक्ति भगत सिंह और डॉ. भीमराव अम्बेडकर ऐसे नेता थे जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था की रूपरेखा रखी थी। इनके अलावा कोई भी ऐसा राजनेता नहीं था जिसने भारत की अर्थव्यवस्था की रूपरेखा पेश की हो।

यही कारण है कि 1947 के बाद के वर्षों में न तो इंगलैंड और न ही अमरीका ने भारत में आर्थिक निवेश किया था और ना ही औद्योगिक व्यवस्था को बढ़ावा दिया। यूरोपीय देश और जापान युद्ध में तबाही से उबर कर अपने-अपने पुनर्निमाण में लगे थे। वहीं दूसरी तरफ गल्फ, मध्य पूर्व के लगभग सभी इस्लामिक देशों ने कभी भी भारत पर विश्वास नहीं किया। केवल कूटनीतिक और रणनीतिक कारणों से उन्होंने भारत का समर्थन किया है निवेश कभी नहीं किया। ऐसे में शीत युद्ध की बाध्यताओं के चलते सोवियत संघ ने आर्थिक और तकनीकी मदद देकर भारत में भारी उद्योगों की नींव रखी थी। इस प्रकार के सरकारी उद्योगों और उद्योगों के सरकारीकरण को राष्ट्रीयकरण बताकर समाजवाद का नाम दिया गया। 1991 के बाद, सोवियत संघ के विघटन और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद खुली प्रतियोगिता के नाम पर बिना औद्योगिकरण के विदेशी वित्तीय पूंजी के आयात/निवेश को विकास का मापदंड बता दिया गया। इससे शेयर बाजार में पूंजी लगाना और मुद्रा स्फीति तथा महंगाई बढ़ने पर पूंजी को वापस निकाल लेना बड़े पूंजीवादी साम्राज्यवाद देशों का नया पूंजी निर्माण तथा वित्तीय साम्राज्य के विस्तार का आधार बन गया। बिना औद्योगिक विकास के चीन जैसे देश का मुकाबला करना भारत जैसे देश में अविश्वसनीय राजनेताओं के अधीन सम्भव नहीं है। अत: अमरीका ने अपनी चिरपरिचित नीति के तहत नेताओं को कई तरह के लालच देकर अपने पक्ष में कहना और खुली अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता के दरवाजे बंद करके अपनी ही शर्तों पर व्यापार करने के लिए बाध्य करना अमरीकी पूंजीवाद की साधारण रणनीति है।

वर्तमान ट्रेड समझौते के अनुसार, अगले पांच वर्षों में अमरीका के साथ व्यापार को 500 बिलियन डॉलन यानि कि 50 हजार करोड़ डॉलर के स्तर पर ले जाना है जो कि आज केवल पांच हजार करोड़ डॉलर के स्तर पर है। जाहिर है इतना अधिक व्यापार सामान्य वस्तुओं के व्यापार से सम्भव नहीं है। इसमें तीन क्षेत्रों के व्यापार में अमरीकी एकाधिकार का तत्व छिपा है, और भारत को पूर्णत: अमरीका के आर्थिक उपनिवेश में बदलने की रणनीति है। इसके तहत, सैन्य साजो-सामान पूरी तरह से खरीदा जायेगा, रूस से खरीद पर प्रतिबंध लगाये जायेंगे। रूस और ईरान से खरीदे जाने वाले पेट्रोलियम के बदले अमरीकी कम्पनियों के माध्यम से वेनेजुएला का पेट्रोलियम लेने की बाध्यता का खुलेआम ऐलान कर ही दिया गया है।

बाकी बचा कृषि क्षेत्र। 2021-22 में सरकार द्वारा बनाये गये तीन कृषि कानूनों को वापस लेने के अपमान का बदला लेने का रास्ता वाया अमरीका अपनाया गया है। कभी लाल बहादुर शास्त्री ने अमरीका के पी.एल. (पब्लिक लॉ) 480 के तहत गेंहू लेना बंद करके भारत में हरित क्रान्ति और स्वेत (दूध) क्रांति के परिणामस्वरूप आज भारत खाद्यान तथा डेयरी उत्पादों में आत्मनिर्भर है। इन्हीं दो क्षेत्रों पर साइलेंट आक्रमण की योजना कथित अमरीकी ट्रेड डील में छिपी है।

उल्लेखनीय है कि 2 अप्रेल, 2025 से पहले भारतीय सामानों पर अमरीकी टैरिफ एम.एन.एफ. दर 3 प्रतिशत थी। इससे अमरीका के साथ-साथ भारत का व्यापार बचत में था- यानि कि सरप्लस था। इस पर ट्रम्प ने अपनी संदिग्ध अपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए भारत के मालों पर 50 प्रतिशत की दर का डर दिखाकर बाद में 25 प्रतिशत का टैरिफ लगाया। अब कथित ट्रेड डील में इसे 18 प्रतिशत किया गया है। साथ ही उक्त ट्रेड डील के प्रस्ताव के साथ ट्रम्प ने एक इक्जीक्यूटिव आदेश निकाल दिया है, जिसके अनुसार, भारत को जो महत्वपूर्ण कदम उठाने है, वे है- भारत रूस से सीधे या इनडायरेक्टली पेट्रोलियम खरीदना बंद करेगा (भारत यह तेल रूपये में खरीदता हैं), भारत अमरीका से उर्जा संसाधन तथा रक्षा सहयोग के लिए पाबंद होगा। छिपे तौर पर स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ 50 प्रतिशत ही रहेगा, ऑटो-कॉम्पोनेंटस पर यह टैरिफ 25 प्रतिशत ही रहेगा। खेती के उत्पादन अमरीकी सामान, जैसे लाल ज्वार, सोयाबीन तेल, शराब और स्पिरिट्स पर रियायतें भारत बहुत दिया भतें पहले ही घोषित कर चुका है। अब, कपास तथा डेयरी उत्पादों के आयात से भारत के कपास उत्पादन और डेयरी उत्पादों की आत्मनिर्भरता प्रभावित होगी। बीच-बीच में यह भी खबरें आई थी कि अमरीका डेयरी उत्पादन उन गायों से प्राप्त होता है जिन्हें गायों के एनीमल फीड में मांस मिलाकर दिया जाता है, जिससे ज्यादा दूध का दोहन हो सके।

वास्तव में अगले पांच वर्षों में भारत 500 बिलियन डॉलर के व्यापार के लिए क्या-क्या खरीद लेगा और उनका उपयोग कहां करेगा? यह प्रश्न आत्मनिर्भर भारत, विश्वगुरू बनने में, तथा 05 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने में कितनी सहायक होगी, यह भविष्य ही बतायेगा।

उक्त कथित अंतरिम समझौते को लेकर अखबारों में छपी भारतीय प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार थी- "मेरे मित्र राष्ट्रपति ट्रम्प से बात करना अच्छा लगा। भारतीय उत्पादों पर 18 प्रतिशत की टैरिफ की घटी दरों से मैं प्रसन्न हूँ। भारत की 140 करोड़ जनता की तरफ से इस शानदार घोषणा के लिए राष्ट्रपति ट्रम्प को बहुत-बहुत धन्यवाद। दुनिया की शान्ति, स्थायित्व और समानता के लिए राष्ट्रपति ट्रम्प का नेतृत्व महत्पूर्ण है। इनके द्वारा शान्ति के लिए प्रयासों का भारत पूरी तरह से समर्थन करता है।" पिछले 11 दिनों से अमरीका और इज्राइल ने मिलकर ईरान पर हमला जारी रखे हुए है। ट्रम्प के कथित विश्व शान्ति के प्रयास में यह युद्ध भी एक है। भारत की पेट्रोलियम की आवश्कताओं को देखते हुए अमरीका ने भारत को 30 दिनों के लिए रूस से पेट्रोलियम आयात करने की छूट दी है और रूस ने कथित ट्रेड डील के पहले के दामो पर पेट्रोलियम ना देकर आज के बाजार भाव से बेचने की बात कही है। यह पहली झलक है भारत के सार्वभौम हितों की रक्षा की!

लेकिन अमरीका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प के टैरिफ वार के अलावा कई अन्य वित्तीय आदेशों को रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप टैरिफ 10 प्रतिशत रह जायेगा। उधर ट्रम्प अपनी पराजय की झेंप मिटाने के रास्ते खोजने में लगा है, इधर भारत की सरकार ने उक्त ट्रेड डील को अन्तिम रूप देने के लिए जाने वाले प्रतिनिधि मंडल की 21 फरवरी, 2025 के होने वाली अमरीका यात्रा को ईरान पर किए गए हमले के कसरण बदली हुई परिस्थितियों के दबाव में टाल दिया है।

जहां भारत की सार्वभौमिकता और संविधान की रक्षा एक ही व्यक्ति की इच्छा-अनिच्छा पर टिकी रहती है, वहीं अमरीका की संवैधानिक व्यवस्था ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वहां की न्यायपालिका, वहां के सशक्त राष्ट्रपति और उसकी कार्यकारिणी से स्वतन्त्र है और वहां का सर्वेसर्वा राष्ट्रपति भी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की अवहेलना नहीं कर सकता है और न ही ऐसा कोई कानून बना सकता है जिससे वहां के सुप्रीम कोर्ट और उसके न्यायाधीशों पर अंकुश लगाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट के अलावा कानून बनाने में सीनेट की सशक्त भूमिका है जो राष्ट्रपति के हरेक नाच को नियन्त्रित करती है। लेकिन ट्रम्प ने 24 फरवरी, 2026 को अपने दो घंटे के भाषण में भारत से सोलर उपकरणों के निर्यात पर 126 प्रतिशत का टैरिफ लगाकर अपनी अधिकारिता का बखान करते हुए यहां तक कह दिया कि अगर किसी देश ने अमरीका के साथ किये गये टैरिफ डील पर फिर से बात करने की कोशिश की तो और भी बुरा हो सकता है। भारत के अमरीका परस्त नेताओं, मंत्रियों के पास क्या जवाब होगा सिवाय इसके कि भारत को वेनेजुएला के रास्ते ले जाया जाये।

लेकिन भारत में, कहने को तो न्यायपालिका और संसद स्वाधिकारी, स्वतन्त्र हैं, परन्तु कार्यकारिणी प्रमुख की रीतियों, नीतियों, अन्तर्राष्ट्रीय संवाद समझौतों के बारे में कोई प्रश्न भी नहीं पूछ सकती; उनका अनुमोदन करने को अपने अधिकार में लेने के संसद के पास कोई अधिकार नहीं है। ऐसी दशा में भारत की सार्वभौमिकता, आर्थिक-औद्योगिक आत्मनिर्भरता तथा अमरीका के साथ होने जा रही ट्रेड डील से क्या सुरक्षित और संरक्षित हो पायेगी?

वैसे, 2029 में ट्रम्प भी राष्ट्रपति नहीं होगा और भारत भी आम चुनावों के दौर से गुजरेगा।

-राम निवास बैरवा,
पूर्व क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

क्या उच्च शिक्षा संस्थानों में तालाबंदी कर देनी चाहिए ?

प्रो. अशोक कुमार

आज भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था एक ऐसे दोराहे पर खड़ी है जहाँ उसकी उपयोगिता और अस्तित्व दोनों पर गंभीर प्रश्नचिह्न लग गए हैं। देश के कोने-कोने में कुकुरमुत्तों की तरह उगे महाविद्यालय और दशकों पुराने विश्वविद्यालय आज डिग्री बाँटने वाले केंद्रों में तब्दील हो चुके हैं। कक्षाओं में पसरा सन्नाटा, परीक्षाओं के समय वन वीक सीरीज और 24 ऑवर सीरीज के लिए उमड़ती भीड़, और संस्थानों का गहराता आर्थिक संकट-ये सब एक ऐसी दुर्गंध की ओर इशारा कर रहे हैं जिसे नजरअंदाज करना अब संभव नहीं है। ऐसे में यह तीखा सवाल उठना लाजिमी है: क्या उन संस्थानों को बंद कर देना चाहिए जो न ज्ञान दे पा रहे हैं और न ही रोजगार?

मर्ज की गहराई:–भारत की उच्च शिक्षा का सबसे त्रासद पहलू कक्षाओं की रिक्तता है। छात्र प्रवेश तो लेते हैं, लेकिन उनका कॉलेज से वास्ता केवल परीक्षा फॉर्म भरने या डिग्री लेने तक सीमित रह गया है। इसके पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक और आर्थिक कारण है। छात्र को यह भली-भांति ज्ञात है कि जो पाठ्यक्रम उसे पढ़ाया जा रहा है, वह दशकों पुराना है और बाजार की जरूरतों से उसका कोई सरोकार नहीं है। जब कक्षा में मिलने वाला ज्ञान उसे रोजगार की गारंटी नहीं देता, तो वह अपनी ऊर्जा और समय शॉर्टकट यानी कुंजी या सीरीज संस्कृति में लगाता है।

यह सीरीज संस्कृति शिक्षा के साथ किया जाने वाला सबसे बड़ा खिलवाड़ है। जहाँ शिक्षा का उद्देश्य आलोचनात्मक सोच और विश्लेषणात्मक क्षमता का विकास होना चाहिए था, वहां मात्र 100-200 पन्नों की रटी-रटाई सामग्री ने बौद्धिक विकास का गला घोंट दिया है। परीक्षा प्रणाली की विफलता ही है कि एक छात्र साल भर गायब रहकर भी मात्र 24 घंटे पढ़कर प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो जाता है। ऐसे में शिक्षा केवल एक कागजी रस्म बनकर रह गई है।

आर्थिक बदहाली और नियुक्तियों का अकाल

संस्थानों के बंद होने की वकालत करने वालों का एक बड़ा तर्क उनकी आर्थिक स्थिति है। सरकारी कॉलेजों में बजट की भारी कमी है, तो निजी संस्थान केवल मुनाफे के मॉडल पर चल रहे हैं। बुनियादी ढांचे के नाम पर टूटी हुई बेंचें, पुरानी प्रयोगशालाएं और धूल फांकती लाइब्रेरी रह गई हैं। सबसे भयावह स्थिति नियुक्तियों की है। दशकों से कई राज्यों में प्रोफेसरों की स्थायी नियुक्तियाँ नहीं हुई हैं। अतिथि विद्वान या एडहॉक या संबल योजना व्यवस्था के भरोसे चल रही शिक्षा व्यवस्था से गुणवत्ता की उम्मीद करना बेमानी है। शिक्षक को पेंशन की गारंटी नहीं! जब शिक्षक का अपना भविष्य अनिश्चित हो, तो वह छात्रों के भविष्य की नींव कैसे मजबूत करेगा?

रिक्त पदों और धन के अभाव ने विश्वविद्यालयों को शोध के बजाय केवल परीक्षा आयोजित करने वाली मशीन बना दिया है। यही कारण है कि दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों की सूची में भारतीय संस्थान अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करते दिखते हैं।

क्या तालाबंदी ही एकमात्र विकल्प है?

तर्क दिया जाता है कि यदि कोई फैक्ट्री उत्पाद नहीं दे रही और घाटे में चल रही है, तो उसे बंद कर देना चाहिए। लेकिन क्या शिक्षा पर भी यही मार्केट लॉजिक लागू किया जा सकता है? कतई नहीं।

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को बंद करना किसी समस्या का समाधान नहीं, बल्कि एक बड़ी सामाजिक त्रासदी का आमंत्रण होगा। इसके कुछ प्रमुख कारण हैं:–

शिक्षा का लोकतंत्रीकरण: भारत जैसे विकासशील देश में, जहाँ आर्थिक असमानता चरम पर है, सरकारी कॉलेज ही गरीब, दलित और पिछड़े वर्गों के लिए उच्च शिक्षा का एकमात्र द्वार हैं। इन्हें बंद करने का अर्थ होगा शिक्षा को केवल अमीर की जागीर बना देना।

सामाजिक चेतना के केंद्र: विश्वविद्यालय केवल किताबी ज्ञान नहीं देते, वे समाज को नेतृत्व देते हैं। युवाओं के भीतर वैचारिक मंथन और तर्क करने की क्षमता वहीं विकसित होती है। संस्थान बंद होने से देश में बौद्धिक शून्यता पैदा हो जाएगी।

डेमोग्राफिक डिविडेंड का संकट: भारत के पास युवाओं की सबसे बड़ी आबादी है। यदि हम संस्थानों को सुधारने के बजाय बंद करेंगे, तो यह जनसांख्यिकीय लाभांश देश के लिए जनसांख्यिकीय आपदा में बदल जाएगा। बिना कौशल और शिक्षा के भटकते युवा अराजकता की ओर बढ़ सकते हैं।

समाधान: बंद करना नहीं, री-इंजीनियरिंग अनिवार्य

हमें संस्थानों के ताले लगाने के बजाय व्यवस्था के इंजन को बदलने की जरूरत है। इसके लिए ज़मीनी स्तर पर कुछ कड़े और क्रांतिकारी कदम उठाने होंगे:–

पाठ्यक्रम का मार्केट-लिंक होना: हर डिग्री के साथ एक वोकेशनल स्किल अनिवार्य होनी चाहिए। यदि कोई छात्र साहित्य पढ़ रहा है, तो उसे कंटेंट राइटिंग या अनुवाद का कौशल सिखाया जाए। यदि कोई विज्ञान पढ़ रहा है, तो उसे स्थानीय उद्योगों के साथ इंटर्नशिप करना अनिवार्य हो।

परीक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव: जब तक प्रश्नपत्र रटने वाले होंगे, सीरीज बिकती रहेगी। परीक्षाओं को ओपन बुक बनाया जाए, प्रोजेक्ट-आधारित मूल्यांकन हो और कक्षा में उपस्थिति को केवल कागजों पर नहीं, बल्कि डिजिटल माध्यमों से सुनिश्चित कर उसे क्रेडिट स्कोर से जोड़ा जाए।

नियमित नियुक्तियाँ और जवाबदेही: सरकार को शिक्षा पर जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा खर्च करना ही होगा। रिक्त पदों को तुरंत भरा जाए, लेकिन साथ ही शिक्षकों की जवाबदेही भी तय हो। शिक्षकों का स्टूडेंट फीडबैक और रिसर्च आउटपुट उनकी पदोन्नति का आधार होना चाहिए।

उद्योग-अकादमिक तालमेल : महाविद्यालयों को अपने क्षेत्र के उद्योगों के साथ जुड़ना होगा। उद्योग अपनी जरूरत बताएं और कॉलेज उस अनुसार प्रशिक्षण दें। इससे आर्थिक संकट भी दूर होगा और छात्रों को प्लेसमेंट भी मिलेगा।

निष्कर्ष–उच्च शिक्षा में व्याप्त वर्तमान संकट व्यवस्था की विफलता है, शिक्षा के महत्व की नहीं। छात्र का कक्षा में न आना कॉलेज की असफलता है कि वह छात्र को कुछ नया नहीं सिखा पा रहा। वन वीक सीरीज का फलना-फूलना हमारी परीक्षा प्रणाली पर एक तमाचा है। संस्थानों को बंद करना पलायनवाद है, सुधारवाद नहीं।

हमें कॉलेजों को डिग्री छापने वाली प्रेस के बजाय स्किल और विजन देने वाले पावरहाउस में बदलना होगा। यदि हम आज इन संस्थानों को सुधारने के लिए निवेश नहीं करेंगे, तो कल हमें जेलों और बेरोजगारी भत्तों पर कहीं अधिक खर्च करना पड़ेगा। शिक्षा बोझ नहीं, बल्कि भविष्य का निवेश है। ज़रूरत है कि हम इमारतों पर नहीं, शिक्षा की आत्मा-यानी शोध, नवाचार और गुणवत्ता-पर ध्यान केंद्रित करें।

–प्रो. अशोक कुमार,
विभागाध्यक्ष राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

बुधवार 11 मार्च, 2026

चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, बुधवार, विक्रम संवत 2082, ज्येष्ठा नक्षत्र रात्रि 10:00 तक, वज्र योग प्रात: 9:12 तक, बालव करण दिन 3:07 तक, चन्द्रमा आज रात्रि 10:00 से धनु राशि में संचार करेगा।

गृह स्थिति: सूर्य-कुम्भ, चन्द्रमा-वृश्चिक, मंगल-कुम्भ, बुध-कुम्भ, गुरू-मिथुन, शुक्र-मीन, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज यमघट योग रात्रि 10:00 से सूर्योदय तक है। आज गुरू मार्गी प्रात: 9:00 से होगा। आज शीतला माता पूजन बास्योडा है। आज कालाष्टमी, ऋषभ देव जयन्ती, वर्षीतप आरम्भ होगा।

श्रेष्ठ चौघड़िया: लाभ-अमृत सूर्योदय से 9:41 तक, शुभ 11:09 से 12:37 तक, चर 3:33 से 5:01 तक, लाभ 5:01 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 12:00 से 1:30 तक। सूर्योदय 6:45, सूर्यास्त 6:29

मेष
अपनी कार्य योजना सीमित रखें। चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक परेशानियां अभी यथावत बनी रहेगी।

वृष
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक एवं महत्वपूर्ण कार्य सम्प